<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०)</u> (समक्षः डी.एस.मण्डलोई)

विविध आप. प्र.क्र.—120 / 14 संस्थित दिनांक—02.07.2014

श्रीमती प्रभा सूर्यवंशी पति भरतलाल सूर्यवंशी, उम्र 30 साल,	
जाति महार, हाल मुकाम वार्ड नं. 30 सरस्वती नगर बालाघाट,	
तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — आवेदिव	का

-// <u>विर</u>ुद्ध //-

भरतलाल सूर्यवंशी, पिता भोदू सूर्यवंशी, निवासी मजगांव, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, उच्च श्रेणी शिक्षक पू.म.शाला, नवागांवघाट तहसील छुईखदान, जिला राजनॉदगांव (छ.ग.)

आवेदिका की ओर से श्री एम.आई.बेग अधिवक्ता।
अनावेदक एकक्षीय।

—<u>ः आदेश ः</u>— (आज दिनांक 17/09/2014 को पारित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 127 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रस्तुति दिनांक 02/07/2014 का निराकरण किया जा रहा है । (02) प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है । आवेदिका को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 25/04, 125 द.प्रं.स. आदेश

दिनांक 17.06.2004 को 2000 / — रूपये प्रति माह भरण—पोषण राशि अनावेदक के द्व ारा अदा करने हेतु आदेशित किया गया है।

आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहित पत्नी है। आवेदिका से अनावेदक ने 50,000 / - रूपये दहेज की मांग को लेकर शारीरीक एवं मानसिंह रूप से प्रताड़ित किया और शराब पीकर मारपीट करता था और आवेदिका का भरणपोषण करने में उपेक्षा बरता इस कारण आवेदिका ने अनावेदक के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भरण—पोषण का आवेदन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बैहर में प्रकरण क्रमांक 25/04 संस्थित किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2004 को आवेदिका को अनावेदक से 2000 / — रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण अदा करने का आदेश पारित किया गया था एवं दिनांक 15.10.2009 में आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत भरण-पोषण राशि में वृद्धि के आवेदन प्रस्तुत करने पर समझौता हो गया था, जिससे उभयपक्ष ने प्रकरण समाप्त करवा लिया था और आवेदिका को अनावेदक ने साथ में रखने एवं भरण-पोषण करने का आश्वासन दिया था और दोनों साथ में रहने लगे, किन्तु दिनांक 11.11.2009 को अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से आवेदिका उसके मायके बालाघाट में रह रही है। अनावेदक ने बिना किसी करण के दूसरी तलाक शुदा पत्नी को साथ में रख लिया है और आवेदिका को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। अनावेदक वर्तमान में उच्च श्रेणी के पद पर कार्यरत् है और अनावेदक को 45,000 / - रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है और अनावेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है। आवेदिका को प्रतिमाह निवास एवं भरण—पोषण के लिये 25,000 / — रूपये की आवश्यकता है। अनावेदक उक्त राशि देने में सक्षम है। आवेदिका बड़ी मुश्किल से शपथ आयुक्त का कार्य कर 1,000-1,500/-रूपये प्रतिमाह कमा पती है, जिससे आवेदिका का भरण—पोषण नहीं हो पाता है । अतः आवेदिका को अनावेदक से 25,000 / — रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि दिलाई

जाये।

- (04) अनावेदक दिनांक 24.07.2014 को अनुपस्थित रहा अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
- (05) आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-
 - (अ) क्या आवेदिका की भरण—पोषण की रिश में वृद्धि की जाना उचित है ?

—:: <u>सकारण — निष्कर्ष</u> ::—

- (06) आवेदिका साक्षी प्रभा सूर्यवंशी (अ.सा.01) का कहना है कि अनावेदक भरतलाल के साथ उसका विवाह 08.08.2003 को हुआ था शादी के कुछ दिन तक अनावेदक ने उसे ठीक से रखा उसके बाद अनावेदक उसे प्रताड़ित करने लगा और हार से बाहर निकाल दिया। उसने अनावेदक के विरूद्ध 498ए की रिपोर्ट भी की थी और भरण—पोषण का आवेदन भी लगाया था, जिसमें न्यायालय द्वारा उसे अनावेदक से 2,000/— रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण दिलाई जाने का आदेश किया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद अनावेदक ने उसे ठीक रखा उसके बाद पुनः 50,000/— रूपये दहेज में मांग की और उसके साथ मारपीट करने लगा और शारीरीक एवं मानसिक रूप से परेशान करने लगा और घर से निकाल दिया तब से वह उसके मायके बालाघाट में रह रही है। वर्तमान में महंगाई बढ़ गई है। अनावेदक को भी वर्तमान में 47,000/—रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। अनावेदक के पास दस एकड़ भूमि है, जिससे अनावेदक 2,00,000/— रूपये कमा लेता है। अनावेदक पर कोई आश्रित नहीं है।
- (07) आवेदिका बकालत एवं शपथ आयुक्त का कार्य करके मुश्किल से 1,000–1,500 / – रूपये कमा पाती है। आवेदिका बीमार रहती है, जिससे वह वकालत

एवं शपथ आयुक्त कार्य भी ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। वर्तमान में मंहगाई बढ़ गई है, अनावेदक द्वारा 2,000 / – रूपये का प्रतिमाह भरण–पोषण की राशि अनावेदक से आवेदिका को 25,000/— रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि दिलाई जाये। अनावेदक उक्त राशि देने में समक्ष है। 🏡 🦥

- आवेदिका ने अपने आवेदन के समर्थन में दिनांक 16.06.2004 के कथन की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-01, अनावेदक के वेतन प्रमाण-पत्र दिनांक 28.08.2014 प्रति प्रदर्श पी-02, भरण-पोषण आदेश दिनांक 17.06.2004 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-03 है। अनावेदक की कृषि भूमि खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-04 प्रस्तुत की है।
- आवेदिका के कथनों का खण्डन अनावेदक की ओर से नहीं किया गया (09)है ऐसी स्थिति में आवेदिका की अखण्डित साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है। आवेदिका की साक्ष्य विवेचना से यह परिलक्षित होता है कि आवेदिका को अनावेदक ने बिना किसी कारण मारपीट कर घर से निकाल दिया है जब से आवेदिका उसके मायके मे रहकर शपथ आयुक्त का कार्य कर बड़ी मुश्किल से अपनी जीवनयापन कर रही है। अनावेदक वेतन प्रमाण-पत्र दिनांक 28.08.2014 अनुसार 43,915 / –रूपये वेतन प्राप्त करता है और अनावेदक की संयुक्त परिवार की प्रदर्श पी-04 अनुसार कृषि भूमि भी होना परिलक्षित होता है। आवेदिका को अनावेदक से 2,000 / - रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि अदा करने हेतु न्यायालय द्वारा प्रदर्श पी-03 राजीनामा कथन एवं आदेश पत्रिका के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि अनावेदक की प्रतिमाह 43,915 / रूपये वेतन एवं कृषि भूमि की आय को दृष्टिगत रखते हुए 2,000 / – रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि में वृद्धि की जाना उचित है। आवेदिका का ही कहना है कि वह वकालत एवं शपथ आयुक्त से भी 1,000–1,500/– रूपये प्रतिमाह कमा लेती है। ऐसी स्थिति में अनावेदक के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को दृष्टिगत रखते हुए एवं आवेदिका के भी आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को दृष्टिगत

रखते हुए आवेदिका का आवेदन स्वीकार कर अनावेदक को आदेश दिनांक से 4,000/— (चार हजार) रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि अदा करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(10) आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

ANIME ANIMED AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY